अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2023 से मार्च 2024[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	मौद्रिक नीति विभाग
6 अप्रैल 2023	मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो अपने समायोजनकारी रुख में कमी के निर्णय पर केंद्रित रही। वर्ष 2023-24 के दौरान नीतिगत रेपो दर और रुख अपरिवर्तित रहे।
	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
25 अप्रैल 2023	'सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा - समीक्षा' पर एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया। यह निर्धारित करता है कि जीसीसी उन व्यक्तियों/संस्थाओं को जारी किया जा सकता है जिन्हें गैर-कृषि उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाएं संस्वीकृत हैं जो प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकरण के पात्र हैं। जीसीसी को 21 अप्रैल 2022 के 'मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और संचालन निदेश' (समय-समय पर अद्यतन) में निर्धारित शर्तों के अनुरूप क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।
26 अप्रैल 2023	• दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रदान की जाने वाली परिक्रामी निधि सहायता को पहले के ₹10,000-₹15,000 प्रति एसएचजी से बढ़ाकर ₹20,000-₹30,000 प्रति एसएचजी कर दिया गया। • डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विभिन्न संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने के संबंध में, बैंकों को 1 जुलाई 2015 के बैंकों में ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 25 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने की सलाह दी गई। ग्राहकों की सहमति के संबंध में, उपरोक्त मास्टर परिपत्र के अनुसार जैसा कि पैराग्राफ 25(iv) में उल्लिखित है, बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ग्राहकों से सहमति खाता खोलने या ऋण के लिए आवेदन में सामान्य खंड के रूप में नहीं बल्कि विशेष रूप से और अलग से प्राप्त की जाए।
9 मई 2023	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक बनाने की सुविधा के लिए, जो स्थायी खाता संख्या (पैन) या वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करने में सक्षम नहीं थे, भारत सरकार (जीओआई) के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एक उद्यम सहायता मंच (यूएपी) शुरू किया। तदनुसार, एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उद्यम सहायता प्रमाणपत्र वाले आईएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए एमएसएमई के तहत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा।
13 सितंबर 2023	उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' पर दिशानिर्देशों की ओर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का ध्यान आकर्षित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया।
28 दिसंबर 2023	एमएसएमई-पीएसएल वर्गीकरण पर नवीनतम गतिविधियों को शामिल करने के लिए 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण' के लिए मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया। पीएसएल प्रयोजनों के लिए, बैंकों को किसी उद्यम के उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण द्वारा निर्देशित होने के अनुदेश दिये गए।
	वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग
12 मई 2023	30 जून 2023 के बाद सभी लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) व्यवस्था के प्रकाशन की समाप्ति के साथ, रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में अपनी विनियमित संस्थाओं (आरई) को एक अंतिम परामर्शिका जारी की, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिये गए कि नए लेनदेन उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा लाइबोर या घरेलू बेंचमार्क - मुंबई अंतर-बैंक वायदा एकमुश्त दर (माइफॉर) के माध्यम से नहीं किए जाएं।

[1] यह सूची सांकेतिक प्रकृति की है और विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 जून 2023	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन करने वाले प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के उद्देश्य से, निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय रुपये (आईएनआर) में गैर सुपुर्दगी-योग्य डेरीवेटिव संविदा (एनडीडीसी) की पेशकश करने की अनुमति दी गई।
8 जून 2023	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को अंतर-बैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर, मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजारों में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित करने की अनुमति देकर मुद्रा बाजार परिचालनों में अधिक सुविधा प्रदान की गई।
23 जून 2023	माइफॉर के विकल्प के रूप में विकसित, संशोधित माइफॉर (एम-माइफॉर) को एक 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
8 नवंबर 2023	वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) को शामिल करने के लिए पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया गया।
24 नवंबर 2023	अनधिकृत संस्थाओं/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) का प्रस्ताव या प्रचार करने वाली अनधिकृत संस्थाओं की 'अलर्ट सूची' [सितंबर 2022 में प्रकाशित] को 7 जून 2023 और 24 नवंबर 2023 को अद्यतन किया गया।
27 दिसंबर 2023	निवेशकों को पोर्टफोलियो प्रतिलाभ में वृद्धि और जी-सेक बाजार में पहुँच बढ़ाने के लिए अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों को नियोजित करने हेतु एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रतिभूति उधार देने और लेने की अनुमति दी गई।
28 दिसंबर 2023	• रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों से संबंधित सभी बेंचमार्कों के प्रशासन को शामिल करते हुए एक व्यापक, जोखिम-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें बेंचमार्क प्रशासकों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिशासन और निरीक्षण व्यवस्थाओं, हितों के टकराव, नियंत्रण और पारदर्शिता का अनुपालन करना आवश्यक है। • घरेलू वित्तीय बाजार में उपलब्ध ब्याज दर डेरीवेटिव के समूह का विस्तार करने और बाजार सहभागियों, विशेष रूप से दीर्घावधि के निवेशकों को सक्षम बनाने और बाजार फीडबैक के लिए नकदी प्रवाह और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर बॉण्ड वायदा की अनुमति देने वाले मसौदा निदेश जारी किए गए।
3 जनवरी 2024	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा की गई और इन बाजारों में जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य सहभागियों के संदर्भ में उत्पादों में अनुरूपता लाने के लिए संशोधित निदेश जारी किए गए।
5 जनवरी 2024	विदेशी मुद्रा (एफएक्स) जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और संशोधित निदेश जारी किए गए, जिसमें सभी प्रकार के लेनदेनों - ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड से संबंधित पिछले नियमों और अधिसूचनाओं को एक ही मास्टर निदेश के अंतर्गत समेकित किया गया, जिसमें अनुमत विदेशी मुद्रा (एफएक्स) डेरीवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया तथा आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले प्रयोक्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क को परिष्कृत किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
27 दिसंबर 2023	बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
6 अप्रैल 2023	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) और गैर-बैंक एडी श्रेणी-II संस्थाओं को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन प्रसंस्करण को सुकर बनाने, मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के एजेंट के रूप में प्राधिकार देने, मौजूदा लाइसेंस/प्राधिकार का नवीनीकरण करने और इन प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) द्वारा विभिन्न विवरण/विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए भी एपी-कनेक्ट नामक एक नया सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 अप्रैल 2023	ग्राहक सुविधा और निपटान समय में सुधार लाने के लिए, 12 अप्रैल 2023 से एडी श्रेणी-II संस्थाओं को आयात और मध्यस्थ व्यापार लेनदेनों के अलावा अन्य विप्रेषण करते समय अपने ग्राहकों द्वारा फॉर्म ए2 को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी गई।
26 अप्रैल 2023	आईएफएससी के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों की तुलना में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को संरेखित करने के उद्देश्य से, खाते में पड़ी किसी भी अप्रयुक्त निधि को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर वापस करने की शर्त को हटा दिया गया। इस तरह के प्रेषणों के लिए अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों में लागू अवधि यानी 180 दिनों के साथ इसे 26 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया।
9 मई 2023	कुछ प्राधिकृत डीलरों (एपी) द्वारा भारत में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत में देय विदेशी मुद्रा में प्री-पेड कार्ड/स्टोर मूल्य कार्डों पर प्रभार/शुल्क लेने के मामलों के कारण, प्राधिकृत व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारत में देय किसी भी शुल्क/प्रभार को केवल भारतीय रुपए में ही मूल्यवर्गित कर उसका निपटान किया जाना चाहिए।
22 जून 2023	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 के अनुसार, जिसने आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वित्तीय सेवाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए चुनिंदा पाठ्यक्रमों को 22 जून 2023 से अधिसूचित किया है, आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान के लिए निवासी व्यष्टियों द्वारा विप्रेषण को निश्चित प्रयोजन, यानी 'विदेश में अध्ययन' के लिए एलआरएस के तहत सक्षम बनाया गया है।
10 नवंबर 2023	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की 11 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, एडी बैंकों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 10 नवंबर 2023 से आईएफएससी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के माध्यम से चांदी के आयात के लिए अहर्ता-प्राप्त जौहरियों (आईएफएससी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित) को 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई।
17 नवंबर 2023	निर्यातकों को अधिक परिचालनगत सहजता प्रदान करने के लिए, विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता रखने वाले एडी श्रेणी- I बैंकों (11 जुलाई 2022 के रिज़र्व बैंक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार) को 17 नवंबर 2023 से अपने निर्यात लेनदेन के निपटान के लिए, विशेष रूप से अपने निर्यातक घटक के लिए, एक अतिरिक्त विशेष चालू खाता खोलने की अनुमति दी गई।
21 दिसंबर 2023	भारतीय रुपये (आईएनआर) के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और भागीदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान का समर्थन करने के लिए, 21 दिसंबर 2023 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमन 2023 लागू करने के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
22 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस यथा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के 30 जून 2023 को शुभारंभ के साथ, एडी श्रेणी-I बैंकों द्वारा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) साइट के माध्यम से सात विवरणियों की प्रस्तुति बंद कर दी गई और 26 दिसंबर 2023 से सीआईएमएस प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित कर दी गई।
31 जनवरी 2024	डीजीएफटी अधिसूचना दिनांक 20 नवंबर 2023 के अनुसार, एडी बैंकों को भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत वैध टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों को 31 जनवरी 2024 से टीआरक्यू के तहत आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण के आयात के लिए 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान प्रेषण की अनुमति दी गई है, जो कि 25 मई 2022 के परिपत्र में उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।
5 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक के नेक्स्ट जेनरेशन डेटा वेयरहाउस सीआईएमएस के शुभारंभ के बाद, एमटीएसएस के तहत भारतीय एजेंट के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा एमटीएसएस के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों की मात्रा पर तिमाही विवरण प्रस्तुति को मार्च 2024 तिमाही के अंत से सीआईएमएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	विनियमन विभाग
11 अप्रैल 2023	विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए हरित जमाराशि की स्वीकृति हेतु एक फ्रेमवर्क लाया गया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य/औचित्य आरई द्वारा ग्राहकों को हरित जमाराशियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, ग्राहकों को उनके संधारणीयता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करना, ग्रीनवाशिंग संबंधी चिंताओं को दूर करना और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए ऋण-प्रवाह को बढ़ाने में मदद करना है। आरई भारत सरकार के 'सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के लिए फ्रेमवर्क' के तहत क्षेत्रों में हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों का आबंटन करेंगे। विनियमित संस्थाएं संचयी/गैर-संचयी जमाराशियों के रूप में और केवल भारतीय रुपए में हरित जमाराशियां जारी करेंगी। यह फ्रेमवर्क 1 जून 2023 से लागू हुआ।
24 अप्रैल 2023	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की सभी श्रेणियों पर लागू मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों को सुसंगत बनाया गया, चाहे संशोधित फ्रेमवर्क में उनका स्तर (टियर) कुछ भी हो। तदनुसार, संशोधित फ्रेमवर्क के तहत टियर I, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 यूसीबी पर लागू मानक आस्ति प्रावधानीकरण मानदंड निम्नानुसार होंगे: (i) कृषि एवं लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम - 0.25 प्रतिशत; (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र को अग्रिम - 1 प्रतिशत; (iii) सीआरई - रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को अग्रिम – 0.75 प्रतिशत; (iv) बैंक अन्य सभी अग्रिमों के लिए, पोर्टफोलियो आधार पर बकाया निधिकृत निधियों के न्यूनतम 0.40 प्रतिशत का एक समान सामान्य मानक आस्ति प्रावधान बनाए रखेंगे।
28 अप्रैल 2023	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश को व्यापक रूप से संशोधित किया गया ताकि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की कतिपय अनुशंसाओं और धन-शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के लिए 7 मार्च 2023 के संशोधनों के साथ अनुदेशों को संरेखित किया जा सके। इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए 15 मार्च 2023 के अपडेट के साथ-साथ नव निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) अधिनियम, 2005 (30 जनवरी 2023 का सरकारी आदेश) की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" को भी मास्टर निदेश में शामिल किया गया।
4 मई 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा गठित 'वर्किंग ग्रुप ऑन वायर ट्रांसफर (डब्ल्यूजी)' की अनुशंसाओं के बाद, वायर ट्रांसफर पर मौजूदा अनुदेशों को एफएटीएफ की अनुशंसाओं के अनुरूप संशोधित किया गया।
8 जून 2023	• समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य और यूसीबी द्वारा कमजोर वर्गों को अग्रिमों के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा को दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि यानी मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्यों को पुनः समायोजित किया गया। शहरी सहकारी बैंक 31 मार्च 2023 (31 मार्च 2021 के बजाय) से निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में पीएसएल लक्ष्य/उप-लक्ष्यों में अपनी कमी के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य पात्र निधियों में अंशदान देंगे। • वित्तीय रूप से मजबूत यूसीबी को परिचालन के स्वीकृत क्षेत्र में शाखा विस्तार की सामान्य अनुमति दी गई। सामान्य अनुमति के अतिरिक्त, अन्य पात्र शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार पूर्व अनुमोदन मार्ग के तहत शाखा विस्तार भी जारी रहेगा। • सभी आरई को शामिल करते हुए समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने (राइट-ऑफ) को अभिशासित करने वाला एक व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया। • विनियमित संस्थाओं (आरई) और ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के बीच या डिजिटल ऋण में चूक हानि गारंटी (डीएलजी) से जुड़े दो आरई के बीच व्यवस्था, जिसे आमतौर पर प्रथम हानि चूक गारंटी (एफएलडीजी) के रूप में जाना जाता है, की अनुमति दी गई थी। इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई डीएलजी व्यवस्था को ' सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण' के रूप में नहीं माना जाएगा और/या ' ऋण भागीदारी' के प्रावधानों को भी लागू नहीं किया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 जून 2023	परिचालन जोखिम पर संशोधित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अभिसरण के रूप में, सभी वाणिज्यिक बैंकों [स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर] के लिए 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता' पर मास्टर निदेश जारी किए गए। मास्टर निदेश, परिचालन जोखिम पूंजी गणना के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण (बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण) को निर्धारित करता है। यह बैंकों को निम्नलिखित पर विचार करने की आवश्यकता के द्वारा मौजूदा बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) की वैचारिक कमजोरी पर काबू पाता है: (ए) एक वित्तीय विवरणी-आधारित कारोबार संकेतक घटक (व्यापक मापदंडों पर विचार करते हुए) और (बी) परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी गणना पद्धति में हानि डेटा-आधारित आंतरिक हानि गुणक (बड़े बैंकों के लिए)
10 अगस्त 2023	रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के तहत एक निदेश जारी किया, जिसके अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/सभी अनुसूचित यूसीबी/सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 10 प्रतिशत का वृद्धिशील आरक्षित नकदी निधि अनुपात (आई-सीआरआर) बनाए रखने की आवश्यकता है, जो 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा।
18 अगस्त 2023	• 'ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार' के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें बैंकों और अन्य उधारदात्री संस्थाओं को सलाह दी गई कि उधारकर्ता द्वारा ऋण संविदा के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने पर यदि कोई दंड लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक प्रभार' माना जाएगा और इसे 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा, जिसे अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों का कोई पूंजीकरण नहीं किया जाएगा। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से लिए गए सभी नए ऋणों के संबंध में अनुदेशों को लागू किया जाए। मौजूदा ऋणों के मामले में, नई दंडात्मक प्रभार व्यवस्था में स्विचओवर 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच अगली समीक्षा/नवीनीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा। • रिज़र्व बैंक ने अवसंरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया ताकि उन्हें अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ एनबीएफसी द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले विनियमों को सुसंगत बनाने में सक्षम बनाया जा सके। संशोधित फ्रेमवर्क में, अन्य बातों के साथ-साथ, आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रायोजक की आवश्यकता हटा दी गई, आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रत्यक्ष ऋणदाताओं के रूप में पथकर-परिचालन-अंतरण (टोल ऑपरेट ट्रांसफर-टीओटी) परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की अनुमति दी गई, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय करार को वैकल्पिक बनाया गया है और आईडीएफ-एनबीएफसी को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के अंतर्गत ऋण मार्ग के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई। • रिज़र्व बैंक ने समान मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित अस्थायी दर वाले वैयक्तिक ऋणों का पुनर्निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उधारकर्ताओं को बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एक निश्चित दर पर स्विच करने की अनुमति शामिल है। रिज़र्व बैंक ने आरई को निदेश दिया कि उन्हें उधारकर्ताओं को मंजूरी देते समय, ऋण पर बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव के कारण ईएमआई, अवधि अथवा दोनों में होने वाले सभी संभावित प्रभावों के संबंध में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।
8 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने आई-सीआरआर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। वर्तमान और बदलती चलनिधि स्थितियों के आंकलन के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि आई-सीआरआर के अंतर्गत अवरुद्ध राशि चरणों में जारी की जाएगी ताकि प्रणाली चलनिधि में अचानक आघात न आए और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से कार्य करे।
12 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया। संशोधित फ्रेमवर्क में उचित मूल्य लाभ और हानियों का सममित उपचार, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से पहचान-योग्य ट्रेडिंग बुक, एचएफटी के अंतर्गत धारिता अवधि पर 90 दिन की उच्चतम सीमा को हटाने, परिपक्वता तक धारित अधिकतम सीमा को हटाने और निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत प्रकटीकरण करते हुए, वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ विनियामक दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया। इसके अलावा, सुचारु कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संशोधित फ्रेमवर्क पर व्याख्यात्मक मार्गदर्शन तैयार किया गया है और निदेशों के साथ संलग्न किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) निदेश 2023 में विस्तृत संशोधित फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 सितंबर 2023	बैंकों और एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी बैंकों सहित अन्य उधारदाताओं को निदेश जारी किए गए थे कि वे उधारकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान या निपटान के 30 दिनों के भीतर सभी मूल चल या अचल संपत्ति के दस्तावेज जारी करें। विलंब की स्थिति में, उधारदाताओं विलंब के प्रत्येक दिन के लिए उधारकर्ताओं को ₹5,000 का भुगतान करके मुआवजा देना होगा। जिम्मेदार उधार आचरण के भाग के रूप में जारी किए गए निदेश उन सभी मामलों पर लागू होंगे, जहां संपत्ति के मूल दस्तावेज 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद जारी होने बाकी हैं। संपत्ति के मूल दस्तावेजों के नुकसान या क्षति की स्थिति में, ऋणदाता को या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, दस्तावेजों की प्रतिलिपि या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उधारकर्ता की सहायता करनी होगी और संबद्ध लागतों का वहन करना होगा। यह लागत, प्रत्येक दिन की देरी के लिए ₹5,000 के दैनिक मुआवजे के अतिरिक्त होगी। हालांकि ऐसे मामलों में, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऋणदाता को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और विलंब के लिए दंड की गणना उसके बाद की जाएगी, यानी कुल 60 दिनों की अवधि के बाद।
14 सितंबर 2023	एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन के तहत, निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पहचाने गए अपर लेयर में 15 एनबीएफसी की एक सूची 14 सितंबर 2023 को जारी की गई।
20 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) तैयार करने का निदेश दिया। ऋण संस्थाओं (सीआई) द्वारा तीन रिपोर्टिंग खंडों, अर्थात् उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त के तहत सीआईसी को ऋण सूचना दी जाती है। इससे पहले, डीक्यूआई केवल उपभोक्ता खंड के तहत प्रस्तुत डेटा के लिए सीआईसी द्वारा प्रदान किया जा रहा था। डीक्यूआई को अब वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों के लिए भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, सीआई को सूचित किया गया है कि वे सीआईसी को प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी खंडों (उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त) के लिए डीक्यूआई की छमाही समीक्षा करें। इसके अतिरिक्त, पहचाने गए मुद्दों और उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट उस छमाही के अंत से दो महीने के भीतर प्रत्येक सीआई द्वारा अपने शीर्ष प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
21 सितंबर 2023	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए 'बासेल III पूंजी फ्रेमवर्क पर विवेकपूर्ण विनियम', 'एक्सपोजर मानदंड', 'महत्वपूर्ण निवेश', 'निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन' और 'संसाधन जुटाने के मानदंड' पर मास्टर निदेश जारी किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है जो एआईएफआई के लिए वर्तमान में लागू बासेल I पूंजी विनियमों के स्थान पर, वर्तमान में बैंकों पर लागू बासेल III पूंजी विनियमों का विस्तार एआईएफआई तक करता है। एआईएफआई के लिए बासेल III की उपयुक्तता, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी: (i) पूंजी मानकों को बढ़ाना (ii) बाह्य रेटिंग के आधार पर ऋण जोखिम की बेहतर पहचान को सक्षम बनाना (iii) वर्तमान में अपनाए जा रहे सरलीकृत दृष्टिकोण के बजाय बाजार जोखिम की व्यापक-आधारित कैप्चरिंग को सुलभ बनाना, और एआईएफआई के परिचालन जोखिम की पहचान करना (iv) लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क के तहत, एआईएफआई के तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर का अधिक कुशलता से पता लगाने की सुविधा प्रदान करना; और (v) वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) की प्रयोज्यता को एआईएफआई में लाना, इस प्रकार उनके वृहत एक्सपोजर के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करना। यह मास्टर निदेश 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है।
25 सितंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाने के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के अनुसार जमानती लेनदार हैं, को उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करने का निदेश दिया है जिनकी सुरक्षित आस्तियां, अधिनियम के तहत आरई द्वारा कब्जे में ली गई हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने आरई को अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी अपलोड करने की सलाह दी। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह महीने के भीतर विनियमित संस्थाओं (आरई) की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और यह सूची मासिक आधार पर अद्यतन की जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
6 अक्टूबर 2023	रिज़र्व बैंक ने एकबारगी पुनर्भुगतान योजना के तहत दिए जा सकने वाले स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया, जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा किया तथा रिज़र्व बैंक के 8 जून 2023 के परिपत्र में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखा।
16 अक्टूबर 2023	यह स्पष्ट किया गया था कि बैंकों को फॉर्म 'ए' विवरणी में रिवर्स रेपो लेनदेनों की प्रस्तुति के लिए नीचे उल्लिखित पद्धति का पालन करना चाहिए: ● बैंकों के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए: ○ 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए फॉर्म 'ए' की मद III(बी) (अर्थात मांग और अल्प सूचना पर देय मुद्रा) और; फॉर्म 'ए' के अनुबंध ए की मेमो मद 2.1 (अर्थात अंतर-बैंक आस्तियों के तहत) ○ 14 दिन से अधिक अवधि की मूल अवधि के लिए फॉर्म 'ए' की मद III(सी) (अर्थात बैंकों को अग्रिम) और; फॉर्म 'ए' के अनुबंध ए के मेमो मद 2.1 और 2.2 (यानी, अंतर-बैंक आस्तियों के तहत)। ● गैर-बैंकों (अन्य संस्थाओं) के साथ सभी अवधियों के लिए रिवर्स रेपो लेनदेन, फॉर्म 'ए' की मद VI (ए) के तहत रिपोर्ट किए जाने चाहिए [अर्थात, भारत में बैंक क्रेडिट के तहत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]।
17 अक्टूबर 2023	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की अनुशंसाओं और पीएमएल नियमों में 4 सितंबर 2023 और 17 अक्टूबर 2023 के संशोधनों के अनुसार कतिपय अनुदेशों को अद्यतन करने के लिए, केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया। इसके अलावा, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए 29 अगस्त 2023 के अपडेट के साथ-साथ संशोधित "डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया, 2005 (1 सितंबर 2023 के सरकारी आदेश)" को मास्टर निदेश में शामिल किया गया। पुनः, सरकार से 29 अगस्त 2023 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) प्राप्त होने पर, एफएटीएफ की अनुशंसाओं को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले क्षेत्राधिकारों के संबंध में विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अनुदेशों में संशोधन किया गया तथा आरई को परिष्कृत समुचित सावधानी उपायों को लागू करने की सलाह दी गई, जो उन देशों के प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ कारोबारी संबंधों और लेनदेन जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की जाती है।
25 अक्टूबर 2023	● रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति सुनिश्चित करें। डब्ल्यूटीडी की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा परिचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं, जैसे कारकों पर विचार करके तय की जाएगी। इसके अलावा, जो बैंक वर्तमान में उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(1)(बी) के तहत डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव, प्रासंगिक परिपत्र जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। ● रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी सहकारी बैंक सभी अदावी देयताओं (जहाँ देय राशि जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि में स्थानांतरित कर दी गई है) को 'आकस्मिक देयताएँ - अन्य' के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा, सभी बैंक वित्तीय विवरणों के खाता-टिप्पणियों में प्रकटीकरण में निर्दिष्ट करेंगे कि डीईए निधि में स्थानांतरित राशि के शेष को 'अनुसूची 12' - आकस्मिक देयताएं - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 अक्टूबर 2023	• रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निर्देश दिया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा सीआई/ सीआईसी से शिकायत की प्रारंभिक फाइलिंग की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो ग्राहकों को प्रति कैलेंडर दिवस ₹100 की दर से मुआवजा दिया जाए। • रिज़र्व बैंक ने सीआई और सीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत करने के उपायों पर निर्देश जारी किए। अन्य बातों के अलावा, इस दिशानिर्देश में ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) तक पहुंच के संबंध में एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से सूचित करने या सीआईसी में उनकी मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं में चूक/ बकाया दिनों की रिपोर्टिंग करने का प्रावधान किया गया है। • रिज़र्व बैंक ने आरआरबी के लिए थोक जमा सीमा बढ़ा दी। तदनुसार, आरआरबी के लिए थोक जमा (बल्क डिपॉजिट)' का मतलब एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा होगा। • रिज़र्व बैंक ने 'जमाराशि पर ब्याज दर' पर मास्टर निदेश की समीक्षा की और निर्णय लिया कि (i) अप्रतिदेय (नॉन-कॉलेबल) सावधि जमा (टीडी) की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की जा सकती है; और (ii) ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा / साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा पर भी लागू होंगे। • 'अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) की समीक्षा' पर परिपत्र ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम में वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में 'पेंशन फंड' के स्थान पर 'केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी' को शामिल कर लिया है। • एए इकोसिस्टम के कुशल और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआई-यू) के रूप में एए परितंत्र में शामिल होने वाले आरई को आवश्यक रूप से एफआईपी के रूप में भी शामिल होना होगा, यदि उनके पास निर्दिष्ट वित्तीय जानकारी है और वे एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
30 अक्टूबर 2023	• रिज़र्व बैंक ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, कस्बे या गांव में शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों को स्थानांतरित करने के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए और डीसीसीबी द्वारा शाखाओं और विस्तार काउंटरों को बंद करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। सहकारी समितियों पर यथा लागू बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23(ए) के अनुसार, डीसीसीबी, ग्रामीण या अर्ध-शहरी या शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं/कार्यालयों/विस्तार काउंटरों को क्रमशः उसी गांव या कस्बे या इलाके/नगरपालिका वार्ड में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अलावा, डीसीसीबी को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद, रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी अलाभकारी शाखाओं को बंद करने की अनुमति है। • रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंक द्वारा नाम में किसी भी परिवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपने नाम में परिवर्तन के इच्छुक सहकारी बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49बी और 49सी के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से संपर्क करना होगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताए जाने चाहिए।
16 नवंबर 2023	कोविड-19 के बाद, उपभोक्ता ऋण खंड में ऋण उठाव काफी अधिक रहा है। साथ ही, बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता विनियामक चिंताओं को जन्म दे रही थी। हालांकि व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में दबाव के कोई बड़े संकेत नहीं दिख रहे थे, लेकिन उपर्युक्त खंडों में लगातार उच्च ऋण वृद्धि की रिपोर्ट ने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई। इसलिए, इन खंडों में परस्पर जुड़ाव और अत्यधिक ऋण वृद्धि से किसी भी संभावित जोखिम के निर्माण को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामक उपायों पर एक परिपत्र जारी किया। उपायों में ऐसे जोखिम के लिए उच्च जोखिम भार और सख्त जोखिम सीमाएँ शामिल थीं। इन उपायों से असुरक्षित ऋण खंड की कमियों में सुधार आने की संभावना है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
19 दिसंबर 2023	आरई द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के माध्यम से विनियामक अंतरपणन के कुछ उदाहरण देखे गए थे। इस मार्ग का उपयोग दबावग्रस्त आस्तियों को सदाबहार बनाने के लिए किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आरई में प्रावधानीकरण कम हुआ और तुलन पत्र की सुदृढ़ता कम हुई। इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र के माध्यम से, निम्नलिखित उपाय किए गए: (ए) आरई किसी भी एआईएफ योजना में निवेश नहीं करेगा, जिसमें इक्विटी निवेश को छोड़कर, संबंधित आरई के किसी भी देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश हो। इसमें फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से एआईएफ में आरई द्वारा किया गया निवेश भी शामिल नहीं है; (बी) यदि एआईएफ योजना ने आरई की देनदार कंपनी में निवेश किया है अथवा निवेश करता है तो आरई को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एआईएफ में अपने मौजूदा निवेश को समाप्त करना होगा, ऐसा न करने पर आरई को एआईएफ में अपने निवेश के लिए आनुपातिक रूप से प्रावधान करना होगा; और (सी) आरई को यह भी अनिवार्य किया गया है कि लघु अंश में कोई भी निवेश, ऐसे निवेश का उद्देश्य चाहे जो भी हो, उसके विनियामकीय पूंजी निधि से पूरी कटौती की जाएगी। ये उपाय एआईएफ मार्ग के माध्यम से निवेश कर, कुछ आरई द्वारा नियोजित विनियामक अंतरपणन को रोकेंगे। इसके अलावा, परिपत्र के कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, 27 मार्च, 2024 को स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें सलाह दी गई थी कि: (i) डाउनस्ट्रीम निवेश में इक्विटी शेयर शामिल नहीं हैं लेकिन परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) के अनुसार अन्य निवेश शामिल हैं; (ii) प्रावधान केवल एआईएफ योजना में आरई के निवेश की सीमा तक लागू होता है, संपूर्ण निवेश पर नहीं; (iii) यदि एआईएफ के पास देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश की कमी है तो परिपत्र के पैराग्राफ 2 का अनुपालन आवश्यक है; (iv) पूंजी से प्रस्तावित कटौतियां टियर-1 और टियर-2 पूंजी दोनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें प्रायोजक इकाइयों सहित सभी प्रकार के अधीनस्थ एक्सपोजर शामिल हैं; और (v) फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यस्थों के माध्यम से एआईएफ में निवेश परिपत्र के दायरे से बाहर है।
22 दिसंबर 2023	'फॉर्म 'ए' विवरणी में रिवर्स रिपो लेनदेन की रिपोर्टिंग' पर 16 अक्टूबर 2023 के परिपत्र के पैरा बी को संशोधित किया गया था। संशोधित निर्देशों के अनुसार, गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ बैंक के रिवर्स रेपो लेनदेन को निम्नानुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए: (i) 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म 'ए' में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है; और (ii) 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म 'ए' की मद VI(ए) [यानी, भारत में बैंक ऋण के तहत ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]।
28 दिसंबर 2023	• 'फैक्टरिंग कारोबार' के भाग के रूप में अर्जित प्राप्तियों के द्वितीयक बाजार परिचालनों को विकसित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि पात्र हस्तान्तरणकर्ताओं द्वारा ऐसी प्राप्तियों के हस्तांतरण को न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आगे दी गई शर्तें पूरी हों: (i) हस्तांतरण के समय ऐसी प्राप्तियों की शेष परिपक्वता अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए; और (ii) 'ऋण जोखिमों के हस्तांतरण' पर मास्टर निदेशों के खंड 10 और 35 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार, हस्तान्तरिती ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त करने से पहले बिल के अदाकर्ता का उचित ऋण मूल्यांकन करता है। • "घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के निपटान के लिए फ्रेमवर्क- 2023" को संशोधित किया गया।
29 दिसंबर 2023	समीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक ने निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की गणना के लिए राष्ट्रीय विकास बैंकों (एनडीबी) के रूप में निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) के अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भी शामिल किया।
1 जनवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर ₹ एक करोड़ और उससे अधिक कर दिया है। तदनुसार, प्राथमिक यूसीबी के लिए 'थोक जमा' का अर्थ अब होगा: (i) संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के तहत टियर 3 और 4 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित यूसीबी के लिए ₹ एक करोड़ और उससे अधिक का एकल रुपया सावधि जमा ; और (ii) अन्य सभी यूसीबी के लिए ₹15 लाख और उससे अधिक का एकल रुपया सावधि जमा, यानी टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के अलावा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 जनवरी 2024	• खाताधारकों की सहायता के उपाय के रूप में और निष्क्रिय खातों पर मौजूदा निर्देशों को समेकित और तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: खातों और जमाराशियों को निष्क्रिय खातों और अदावी जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत करने के विभिन्न पहलू, जैसा भी मामला हो; ऐसे खातों और जमाराशियों की समय-समय पर समीक्षा, ऐसे खातों/जमाओं में धोखाधड़ी को रोकने के उपाय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र, खातों को सक्रिय करने हेतु, निष्क्रिय खातों/दावा न किए गए जमाराशियों के ग्राहकों, उनके नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदम, दावों का निपटान या समाप्त करना और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ये निदेश, बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिज़र्व बैंक के चालू प्रयासों और पहलों के अनुपूरक होंगे। संशोधित निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर लागू हैं और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गए हैं।
4 जनवरी 2024	• केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों (पीईपी) की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करना और फिर से परिभाषित करना है। संशोधन से पहले, पीईपी की परिभाषा केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 3 के खंड (ए) के उप-खंड (xvii) में प्रदान की गई थी। हालाँकि, बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश के अनुभाग 41 के स्पष्टीकरण के रूप में पीईपी की परिभाषा को इस प्रकार शामिल किया: *'इस अनुभाग के प्रयोजन के लिए, राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं अथवा कर रहे हैं, जिनमें राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।*
15 जनवरी 2024	एनबीएफसी के बीच एक्सपोज़र की गणना में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, यह निदेश अब एनबीएफसी-मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और एनबीएफसी-बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) को पात्र क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण साधनों का उपयोग करके मूल प्रतिपक्ष को एक्सपोजर ऑफसेट करने की अनुमति देते हैं। ऋण जोखिम हस्तांतरण साधन के रूप में पात्र होने के लिए, केंद्र/राज्य सरकार से गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त होगी। इसके अलावा, केंद्र/राज्य सरकार के प्रत्यक्ष एक्सपोज़र के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटी वाले एक्सपोज़र को सकेंद्रण सीमा से छूट दी गई है। जबकि एनबीएफसी-बीएल के लिए कोई संक्रेंद्रण सीमा निर्धारित नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संक्रेंद्रण सीमा के लिए एक आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएं।
17 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया ताकि उन्हें संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप लाया जा सके। तदनुसार, लाइसेंस प्राप्त टियर 3 और टियर 4 यूसीबी, लगातार दो वर्षों तक टियर 3 यूसीबी के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमाराशि के रखरखाव और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन शामिल किए जाने के लिए पात्र माने जाएंगे: (ए) वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) यूसीबी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना; (बी) यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता से कम से कम 3 प्रतिशत अधिक, पूंजी और जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सीआरएआर); और (सी) कोई बड़ी विनियामक और पर्यवेक्षी चिंता न होना।
9 फरवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) के पारिश्रमिक को ₹20 लाख प्रति वर्ष की सीमा से संशोधित कर ₹30 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। ये निदेश छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होंगे। • रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2022 के परिपत्र के माध्यम से, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के पेशेवर समाशोधन सदस्य (पीसीएम) के रूप में, गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (जीआईएफटी-आईएफएससी) में भारतीय बैंकों की शाखाओं की भागीदारी के लिए, रूपरेखा निर्धारित की थी। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि (ए) आईआईबीएक्स के ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य (टीसीएम) के रूप में भारतीय बैंकों की भागीदारी (शाखा/सहायक/संयुक्त उद्यम के माध्यम से), और (बी) आईआईबीएक्स के विशेष श्रेणी ग्राहक (एससीसी) के रूप में स्वर्ण/चांदी आयात करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 फ़रवरी 2024	• भारत सरकार 1 अप्रैल 2015 से पात्र निर्यातकों को शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यन योजना (आईईएस) परिचालित कर रही है। संशोधन के माध्यम से सरकार ने इस योजना को 30 जून 2024 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने जो इस योजना के प्रशासक हैं, औसत ब्याज दर और छूट राशि की सीमा के संबंध में योजना में संशोधन किया है। उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में बैंकों को 22 फरवरी 2024 के परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया।
27 फ़रवरी 2024	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) में निदेशक, प्रबंध निदेशक या सीईओ की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। एआरसी को सूचित किया गया कि वे रिक्तियाँ निकलने/नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले विनियमन विभाग (डीओआर) को विधिवत हस्ताक्षरित सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन अनुबंध-I, अनुबंध-II में उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी के साथ जमा करें।
28 फ़रवरी 2024	बाजार जोखिम पूंजी प्रभार के लिए मौजूदा अनुदेशों में संशोधन करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए, जो इस प्रकार हैं: (क) पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से 'ट्रेडिंग बुक' की परिभाषा को निवेश से संबंधित मास्टर निदेश के अनुरूप बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है; और (ख) 'बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश - बेसल III' को अपनाने की दिशा में संक्रमण को सुचारु बनाने के लिए बेसल III फ्रेमवर्क के तहत वाणिज्यिक बैंकों के लिए मध्यवर्ती स्केलर पेश किए गए।
7 मार्च 2024	कार्ड पारितंत्र में विकास और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर, 'क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड-जारी करने और परिचालन के निर्देश, 2022' पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए हैं। प्रमुख अपडेट इस प्रकार हैं: (ए) रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी बैंकों और एनबीएफसी को कार्ड जारीकर्ताओं के सह-ब्रांडिंग भागीदार बनने की सामान्य अनुमति; (बी) अन्य फॉर्म फैक्टर (धारण योग्य उपकरण, की-चेन, आदि) में क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति; (सी) व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के लिए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी; और (डी) आउटसोर्सिंग भागीदारों के साथ लेनदेन डेटा सहित कार्ड डेटा साझा करने पर प्रतिबंध।
21 मार्च 2024	आरई के लिए स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक सर्वव्यापी फ्रेमवर्क जारी किया गया जो कि रिज़र्व बैंक से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित किसी भी एसआरओ के लिए सामान्य व्यापक मानदंड, जैसे- उद्देश्य, जिम्मेदारियां, पात्रता मानदंड, अभिशासन मानक, आवेदन प्रक्रिया और अन्य बुनियादी शर्तें निर्धारित करता है।
फिनटेक विभाग	
4 मई 2023	भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, रिज़र्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के बीआईएस इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) ने संयुक्त रूप से 4 मई 2023 को जी20 टेकस्प्रिंट के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया, जो सीमापारीय भुगतान में सुधार के उद्देश्य से नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है। जी20 टेकस्प्रिंट के चौथे संस्करण के विजेताओं की घोषणा 4 सितंबर 2023 को की गई।
14 अगस्त 2023	रिज़र्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अनुसार, निर्बाध ऋण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच के विकास की घोषणा की। यह मंच रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया है, जो रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस मंच की प्रायोगिक परियोजना 17 अगस्त 2023 को शुरू हुई।
8 दिसंबर 2023	दिनांक 8 दिसंबर 2023 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों में आरबीआईएच द्वारा अप्रैल 2024 या उससे पहले फिनटेक रिपोजिटरी के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें फिनटेक रजिस्ट्री और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (एम-टेक) रिपोजिटरी शामिल हैं।
15 जनवरी 2024	फिनटेक क्षेत्र के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए मसौदा फ्रेमवर्क को हितधारकों और जनता की टिप्पणियों/ प्रतिक्रिया के लिए वेबसाइट पर प्रस्तुत किया गया।
28 फरवरी 2024	विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) हेतु सक्षम फ्रेमवर्क को पिछले साढ़े चार वर्षों में चलाये गए चार समूहों (कोहार्ट) से प्राप्त अनुभव तथा फिनटेक, बैंकिंग भागीदारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया गया। अन्य बातों के अलावा, रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा को सात महीने से बढ़ाकर नौ महीने तक संशोधित किया गया। अद्यतन फ्रेमवर्क में सैंडबॉक्स संस्थाओं के लिए डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
पर्यवेक्षण विभाग	
10 अप्रैल 2023	रिज़र्व बैंक ने "सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश" के रूप में दिशानिर्देश जारी किए, जो सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आउटसोर्सिंग और संबंधित जोखिमों के प्रबंधन और समूह/संगुट के भीतर आईटी आउटसोर्सिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के उपयोग पर विशिष्ट आवश्यकताओं आदि जैसे अन्य पहलुओं के संबंध में विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
10 अक्टूबर 2023	एनबीएफसी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क को 10 अक्टूबर 2023 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी एनबीएफसी (बेस लेयर को छोड़कर) तक बढ़ा दिया गया था। 31 मार्च 2024 या उसके बाद के एनबीएफसी द्वारा लेखांकित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर यह फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी पर भी प्रभावी होगा। । पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई (एसई) को अपने वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है।
7 नवंबर 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन और नियंत्रण, कारोबार निरंतरता प्रबंधन और सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा पर अनुदेशों को "सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश" के रूप में अद्यतन और समेकित किया गया।
15 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए) की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या हटाने, और अन्य संबंधित मामलों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के सांविधिक लेखा परीक्षकों (सीसीबी) की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किए।
31 जनवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने 'आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना' पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आरई को अनुपालन कार्य की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यापक, एकीकृत, उद्यम-व्यापी और कार्यप्रवाह-आधारित समाधान/साधन लागू करने की सलाह दी गई।
27 फरवरी 2024	विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षित संस्थाओं को जारी किए गए अनुदेशों में स्पष्टता, संक्षिप्तता और सामंजस्य लाने के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश 2024' पर मास्टर निदेश जारी किया गया ।
1 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने विनियमों की आंतरिक समीक्षा के आधार पर 34 परिपत्र वापस ले लिए।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
29 दिसंबर 2023	विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) में आंतरिक लोकपाल तंत्र की प्रभावकारिता को सुदृढ़ करने और उत्कृष्ट बनाने के लिए, मास्टर निदेश- 'भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023' जारी किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
29 मार्च 2023	वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर 2023) के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा ₹1,50,000 करोड़ तय की गई थी।
26 सितंबर 2023	• वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2023 से मार्च 2024) के लिए भारत सरकार की डबल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ तय की गई थी। • रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए, मौजूदा बेंचमार्क आवधिक पत्र के अलावा, एक दीर्घावधिक 50-वर्षीय पत्र शुरू किया। • अक्टूबर 2023 - मार्च 2024 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी करने के कैलेंडर के एक भाग के रूप में, ₹20,000 करोड़ की कुल राशि के एसजीआरबी जारी करना, जिसमें 5-वर्षीय और 10-वर्षीय पत्र के अलावा 30-वर्षीय एसजीआरबी जारी करना शामिल है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	मुद्रा प्रबंध विभाग
15 मई 2023	दो वर्ष से अधिक से बैंकिंग व्यवसाय कर रहे लघु वित्त बैंकों के लिए जनता को गंदे/कटे-फटे/त्रुटिपूर्ण नोटों के विनिमय की सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य किया गया जिससे वे देश के अन्य सभी बैंकों की शाखाओं के समान हो गए हैं, केवल भुगतान बैंकों को छोड़कर, जिनके लिए यह सेवा वैकल्पिक बनी हुई है।
19 मई 2023	• अपनी "स्वच्छ नोट नीति" के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की वैधानिक टेंडर स्थिति को बरकरार रखते हुए उन्हें संचलन से वापस लेने की घोषणा की। • जनता को बैंक शाखाओं और रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में ₹2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए 7 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया। • 09 अक्टूबर 2023 से, रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में विनिमय और/या जमा, भारतीय डाक द्वारा भी किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।
18 जनवरी 2024	बैंकिंग प्रणाली में नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) का पता लगाने/रिपोर्टिंग को सुचारु बनाने के लिए, एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग संरचना शुरू की गई।
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
7 जून 2023	लेनदेन के लिए बीमा की अनुमति, वित्तपोषक के दायरे का विस्तार और आढ़त इकाइयों (एफयू) के लिए द्वितीयक बाजार को सक्षम करके व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) का दायरा बढ़ाया गया।
8 जून 2023	• रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं को ई-रुपी वाउचर जारी करने की अनुमति देकर ई-रुपी वाउचर के दायरे का विस्तार किया, व्यक्तियों की ओर से इसे जारी करने में सक्षम बनाया और वाउचर को पुनः लोड करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया और इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी करने की सीमाओं जैसे अन्य पहलुओं को संशोधित किया। । • रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम), बिक्री केंद्रों (पीओएस) की मशीनों और विदेशों के ऑनलाइन व्यापारियों के उपयोग के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी।
10 अगस्त 2023	• रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) पर एक अभिनव भुगतान मोड, अर्थात 'संवादात्मक भुगतान' शुरू करने की घोषणा की, जो उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेनदेन की प्रक्रिया को शुरू करने और पूरा करने से पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित प्रणाली के साथ संवाद के लिए सक्षम बनाएगा। • रिज़र्व बैंक ने यूपीआई-लाइट में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके ऑफ़लाइन लेनदेन की सुविधा के प्रस्ताव की घोषणा की।
24 अगस्त 2023	ऑफ़लाइन मोड (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यूपीआई लाइट सहित) में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान में और सुधार के लिए, प्रति लेनदेन सीमा ₹200 से बढ़ाकर ₹500 कर दी गई।
4 सितंबर 2023	यूपीआई को फंडिंग खाते के रूप में क्रेडिट लाइनों से जोड़ने की अनुमति देकर और बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से/में स्थानांतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार किया गया।
31 अक्टूबर 2023	रिज़र्व बैंक ने माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार भुगतान लेनदेन की सुविधा देने वाली सभी संस्थाओं को अपने प्रत्यक्ष विनियमन के तहत लाने के लिए 'भुगतान एग्रीगेटर विनियमन - क्रॉस बॉर्डर (पीए-क्रॉस बॉर्डर)' पर दिशानिर्देश जारी किए।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
1 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
8 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भुगतान के लिए यूपीआई के माध्यम से लेनदेन सीमा को मौजूदा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की घोषणा की।
12 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने आवर्ती लेनदेन के लिए ई-जनादेश फ्रेमवर्क को संशोधित किया, म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम के भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के बिना लेनदेन की सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया।
20 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों/संस्थानों के माध्यम से सीधे कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकन (सीओएफटी) निर्माण सुविधाओं की अनुमति दी।
29 दिसंबर 2023	रिज़र्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ़) योजना को दो वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया और सभी केंद्रों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और पीआईडीएफ़ योजना के तहत साउंडबॉक्स और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणों जैसे भुगतान स्वीकृति बुनियादी अवसंरचना को भी शामिल किया।
8 फरवरी 2024	• रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचप्वाइंट ऑपरेटरों को शामिल करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य सम्यक तत्परता और अतिरिक्त धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आवश्यकताएं शामिल हैं। • रिज़र्व बैंक ने नियम-आधारित "डिजिटल भुगतान लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए फ्रेमवर्क" अपनाने की घोषणा की।
12 फरवरी 2024	भारत और मॉरीशस के बीच रुपे कार्ड और यूपीआई कनेक्टिविटी, साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच यूपीआई कनेक्टिविटी लॉन्च की गई।
15 फरवरी 2024	भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने क्रमशः भारत और नेपाल की तेज़ भुगतान प्रणालियों, अर्थात, भारत के यूपीआई और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफ़ेस, के एकीकरण के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान-प्रदान किया।
23 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए अधिकृत बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को पीपीआई जारी करने की अनुमति देने के लिए 'प्रीपेड भुगतान साधनों पर मास्टर निदेश' में संशोधन किया।
29 फरवरी 2024	रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को कवर करते हुए एक संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया, जो बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, अधिक भागीदारी को सक्षम बनाता है और अन्य परिवर्तनों में ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाता है।
4 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए एक इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली बनाने की घोषणा की, जिसका कार्यान्वयन एनपीसीआई[2] भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा किया जाएगा।
6 मार्च 2024	रिज़र्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं, जिनके द्वारा जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है, वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो, और जारी करने के समय उनके पात्र ग्राहकों के लिए एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प न प्रदान करता हो।

[2] भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम